

12323/19/43
कोको 7

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/21/62359

जयपुर, दिनांक 4/8/21


आदेश

विभागीय परिपत्र क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(27)डीएलबी/09/21659 दिनांक 29.11.12 जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि जिन कच्ची बस्तियों में आधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों की परिभाषा से बाहर होने योग्य है उन्हें अनाधिसूचित (Denotify) करने हेतु स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया था।

उपरोक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 29.11.12 के अनुसरण में जिन कच्ची बस्तियों में आधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों की परिभाषा से बाहर होने योग्य है उन्हें अनाधिसूचित (Denotify) करने हेतु स्थानीय स्तर की संबंधित निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आज्ञा से,


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ग)()नियम/डीएलबी/21/62360-63930 दिनांक: 4/8/21
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करावें।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर-दक्षिण।
13. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास राजस्थान।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी